

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 9881 वर्ष 2026

लवलेश श्रीवास @ बल्ली

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता

: विजय बहादुर शिवहरे

प्रत्यर्थी(यों) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरूण कुमार सिंह देशवाल

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय बहादुर शिवहरे, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.एस. परमार, की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह, और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह, को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 387/2025, धारा 103(1), 352 बीएनएस, थाना-मौदाहा, जिला-हमीरपुर में परीक्षण की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि, अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आरोप यह है कि आवेदक, सह-अभियुक्तों के साथ, प्रथम शिकायतकर्ता के घर आया और उसके भाई रवि को बुलाने के बाद, उसे लाठी, डंडा और धारदार हथियारों से पीटना शुरू कर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक, रवि की मृत्यु हो गई। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि, वास्तव में, मृतक रवि ने स्वयं आवेदक के भाई पिंटू पर पेट में चाकू से हमला किया था। इसके बाद, आत्मरक्षा के अधिकार में, आवेदक ने भी मृतक पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध आरोप लगाने वाली कोई सामग्री मौजूद नहीं है और सह-अभियुक्त पुतन को पहले ही इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9051/2026 में दिनांक 17.03.2026 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 31.10.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत मिल जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान एजीए ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्याधिक भीड़ और विचारण न्यायालय के समक्ष आपराधिक मामलों के बहुत ज्यादा लंबित होने को ध्यान में रखते हुए और साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित, मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **लवलेश श्रीवास @ बल्ली** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत अनुबंध और उतनी ही राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

1. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या साक्ष्यों को प्रभावित करने से रोका जा सके।
2. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना परीक्षण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा ।
4. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. अनुबंध स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर-जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमानत देने संबंधित नीतिगत रणनीति, संदर्भ:स्वप्रेरणा रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 4/2021 के संबंध में दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया जाता है।

मार्च 24, 2026

एस.सी.

(अरूण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।